रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227084
CG-DL-E-19052021-227084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]	**नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943**
No. 153]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

मामला संख्याः एडी (एसएसआर) – 08/2021

विषय: इंडोनेशिया और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''अनकोटेड कॉपियर पेपर'' के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/8/2021-डीजीटीआर.— 1. मै. जे.के. पेपर लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''आवेदक'' या ''आवेदक कंपनी'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''अनकोटेड कॉपियर पेपर'' (जिसे आगे ''संबद्ध वस्तु'' या विशिष्ट रूप से ''विचाराधीन

उत्पाद'' अथवा ''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना का आरोप लगाया है और निर्णायक समीक्षा जांच करने तथा लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है ।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

3. दिनांक 02.11.2017 की अधिसूचना सं. 6/32/2017-डीजीएडी के माध्यम से इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा थाइलैंड से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच शुरू की गई थी। दिनांक 30.10.2018 की अधिसूचना सं. 6/32/2017-डीजीएडी के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने का सिफारिश की गई थी और दिनांक 4.12.2018 की अधिसूचना सं. 56/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से शुल्क लगाया गया था ।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद ''अनकोटेड कॉपियर पेपर'' है । इस उत्पाद को मूल जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

6. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है । विचाराधीन उत्पाद के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं:

क) वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित अनुमत्य सीमाओं सहित निम्न आकारों की आयाताकार शीट में अनकोटेड पेपर है । (क) 210 एमएम x 297 एमएम जिसे ए4 आकार के रूप में भी जाना जाता है; (ख) 297 एमएम x 420 एमएम जिसे ए3 आकार भी कहा जाता है; (ग) 215 एमएम x 345 एमएम जिसे एफएस या लीगज साइज भी कहा जाता है ।'' विचाराधीन उत्पाद का अर्थ व्यवहारिक रूप से अनुकूल आकार में ''अनकोटेड कॉपियर पेपर'' है ।

ख) विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग आम तौर पर (परंतु अनन्य रूप से नहीं) फोटो कॉपी या कॉपी पेपर के रूप में होता है और इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से ''कॉपी पेपर'', ''कॉपीयर पेपर'', ''फोटोकॉपी पेपर'', ''मल्टीपरपज पेपर'', ''अनकोटेड कॉपियर पेपर'', ''ए4 साइज पेपर'', ''ए3 साइज पेपर'', अथवा ''एफएस साइज पेपर'' के रूप में भी जाना जाता है । यह तैयारर शीटों के रूप में होता है जिसका भार विभिन्न जीएसएम में होता है । यह सफेद पेपर या पंच्ड पेपर हो सकता है और इसमें सतह की अलग-अलग स्मूथनेस होती है । ग) पीयूसी के संबंध में प्राधिकारी ने रोल, रील और बड़े आकार की शीट तथा भारत में अनुकूल आकार में कॉपियर पेपर के आयात द्वारा किसी लागू पाटनरोधी शुल्क की संभावित परिवंचना की गुंजाइश की जांच की है । डी आई तथा निर्यातक ने सूचित किया कि यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि कॉपियर पेपर का व्यापार नियत आकार और पैक्ड शीटों में होता है । काटे गए और निश्चित आकार के पैकों में बेचे गए कॉपियर पेपर के बीच लागत में अंतर होता है और रोल में आयातित पेपर काफी छोटा है जिससे कटिंग और पैकिंग प्रचालन करना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य है । अत: लेखन, मुद्रण, फोटो कॉपी/कॉपी, अन्य ग्राफिक प्रयोजनों आदि के लिए रोल, रील और बड़े आकार की शीटों (अर्थात ऊपर विनिर्दिष्ट आकारों से इतर) में प्रयुक्त किए जाने वाले अनकोटेड प्रकार के पेपर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है । घ) विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क शीर्ष 4802 के अंतर्गत वर्गीकृत है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेकितक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

5. इस अवधि के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं हुए हैं । चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में यथापरिभाषित दायरे के समान रहेगा ।

ग. **समान वस्तु**

6. आवेदक ने अनुरोध किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । दोनों उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, अंतिम प्रयोगों, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिँ स्थापनीयता तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु है । वर्तमान आवेदन मूल शुल्क की समय-सीमा बढाने की समीक्षा करने के लिए है और चूंकि विचाराधीन उत्पाद समान है, इसलिए यह प्रथमदृष्टया माना गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु ''समान वस्तु'' हैं ।

घ. **घरेलू उद्योग**

7. यह आवेदन मै. जे.के.पेपर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं । आवेदन को मै. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड तथा मै. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लिमि., द्वारा समर्थन दिया गया है जिन्होंने विहित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत की है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है और नियमावली के अर्थ के भीतर आवेदक घरेलू उद्योग है ।

ड. **पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना**

I. **इंडोनेशिया तथा थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य**

8. आवेदक ने दावा किया है कि इंडोनेशिया और थाईलैंड के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद के बिक्री मूल्य दर्शाने वाली कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी नहीं है। आवेदक ने खुदरा स्तर पर उत्पाद के बिक्री मूल्य पर भरोसा किया है और करों, भाड़ा और छूट के लिए इसे समायोजित करने के बाद कारखाने के बाहर निर्यात मूल्य का निर्माण किया है। दावा दीक्षा के प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाया गया है।

9. आवेदक ने इंडोनेशिया में विशेष बाजार की स्थिति के अस्तित्व का आरोप लगाया है और यह प्रस्तुत किया है कि प्रमुख इनपुट के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के लिए लागत को समायोजित करने की आवश्यकता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि इंडोनेशिया सरकार ने विभिन्न नीतियों और कार्यों के माध्यम से इनपुट सामग्री (लकड़ी के गूदे) की कीमतों को प्रभावित और कृत्रिम रूप से कम किया है। जांच के दौरान आवेदक के दावे की जांच की जाएगी।

ii. **सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य**

10. प्राधिकारी ने मूल जांच में यह नोट किया था कि सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद का कोई उत्पादक नहीं है । इंडोनेशिया में निर्मित विचाराधीन उत्पाद का सिंगापुर से भारत को निर्यात किया जाता है। प्राधिकारी ने सिंगापुर से निर्यातकों के लिए अलग से पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया था। इस जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने सिंगापुर के लिए इंडोनेशिया के समान स्तर पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है ।

iii. **निर्यात कीमत**

11. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों से निर्यात कीमत परिकलित की है । अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए कारखाना द्वारा निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजन किए गए हैं ।

12. आवेदक ने आरोप लगाया है कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा यथासूचित निर्यात कीमत अविश्वसनीय है क्योंकि कीमतें लागू बैंच मार्क शुल्क के लगभग बराबर हैं और इंडोनेशियायी सीमाशुल्क आंकड़ों में सूचित कीमतों से काफी अधिक हैं । इस दावे की जांच की प्रक्रिया के दौरान आगे जांच की जाएगी ।

iv. **पाटन मार्जिन**

13. ऊपर के रूप में निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। यह नोट किया जाता है कि इंडोनेशिया और सिंगापुर से निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन

न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है। इन दोनों देशों से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाना जारी है। तथापि, थाईलैंड से निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से नीचे है।

च. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना

14. आवेदक ने दावा किया है कि यद्यपि, घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी नहीं है, तथापि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में उसे क्षतिँ होने की संभावना है । आवेदक ने बताया है कि शुल्क लगाए जाने के बाद आयात में गिरावट होने, यदि शुल्क समाप्त होता है तो संभावित पाटन मार्जिन इंडोनेशिया में उत्पाद की घटती हुई मांग, इंडोनेशिया में भारी उत्पादन क्षमताएं, संबंध वस्तु की घटती हुई वैश्विक मांग, आस्ट्रेलिया द्वारा (थाइलैंड और इंडोनेशिया पर) लगाया गया शुल्क, इंडोनेशियाई बाजार के संबंध में आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों द्वारा पाए गए तथ्य, इंडोनेशिया में निर्यातकों के पास लागत लाभ, तीसरे देश को निर्यात संबंधी पाटन मार्जिन जैसे कारक पाटन के जारी रहने और क्षति की पुनरावृति की संभावना का संकेत करते हैं । इंडोनेशिया और सिंगापुर से पाटन और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्याग को परिणामी क्षति की संभावना के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं ।

छ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं ।

ज. संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में इस जांच में संबद्ध देश इंडोनेशिया और सिंगापुर हैं ।

झ. जांच की अवधि

17. प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई") जनवरी, 2020 - दिसंबर, 2020 (12 महीने) का प्रस्ताव करते हैं । क्षति जांच अवधि में तीन पूर्ववर्ती वर्षों अर्थात अप्रैल, 2017– मार्च, 2018, अप्रैल, 2018– मार्च, 2019, अप्रैल, 2019- मार्च, 2020 और पी ओ आई की अवधि शामिल होंगी ।

ञ. प्रक्रिया

18. इस समीक्षा जांच में दिनांक 30.10.2018 की अधिसूचना सं. 6/32/2017-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे जिसके द्वारा इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर से अनकोटेड कॉपियर पेपर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी ।

19. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg12-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in jd14-dgtr@gov.in और dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

21. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर उपर्युक्त पैराग्राफ 19 में यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ठ. **<u>समय-सीमा</u>**

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg12-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in jd14-dgtr@gov.in और dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ड. **<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>**

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

29. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

30. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. <u>हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोधों को साझा करना</u>

34. डीजीटीआर की वैब साइट पर पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय अंश को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होगी ।

ण. <u>असहयोग</u>

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2021

Case No. (SSR - 08/2021)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of “Uncoated Copier Paper” originating in or exported from Indonesia and Singapore.

F. No. 7/8/2021-DGTR.—1. M/s JK Paper Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or ‘applicant company’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) as domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules”) for Sunset Review Anti-dumping Investigation concerning imports of “Uncoated Copier Paper” (hereinafter referred to as “subject goods” or specifically as “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from Indonesia, Singapore, and Thailand

2. The Applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from the subject countries, and consequent likelihood of injury to the domestic industry, and have requested for Sunset review investigations and continuation of the Anti-dumping duty imposed.

A. <u>Background</u>

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from Indonesia, Singapore, and Thailand was initiated vide Notification No. 6/32/2017-DGAD, dated 02.11.2017. Definitive Anti-dumping duties were recommended vide Notification No. 6/32/2017-DGAD, dated 30.10.2018 and the same were imposed vide Notification No. 56/2018-Customs (ADD), dated 04.12.2018.

B. <u>Produce Under Consideration</u>

4. The product under consideration as in the original investigation is “Uncoated Copier Paper”. The product was defied as under in the original investigation–

"6. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the DI. With respect to the product under consideration, the Authority notes:

a) The product under consideration for the purpose of present investigation is "uncoated paper in rectangular sheet of following sizes, with permissible limits (a) 210mm x 297 mm also known as A4 size; (b) 297mm x 420mm also known as A3 size; (c) 215mm x 345mm also known as FS or legal size." The product under consideration practically implies cut to size "uncoated copier paper".

b) The product under consideration is generally (but not exclusively) used as a photocopy or copy paper and therefore is popularly known as "copy paper", "copier paper", "photocopy paper", "multipurpose paper", "uncoated copier paper", "A4 Size Paper", "A3 Size Paper" or "FS Size Paper". It is in the form of finished sheets; weighing in different gsm. It can be a white paper or a punched paper and in different smoothness of the surface. c) Regarding the PUC, the Authority examined the scope of possible circumvention of any anti-dumping duty, if imposed, by import of copier paper in rolls, reels and large sized sheet and cutting it to size in India. The DI as well as the exporters informed that this was not feasible as copier paper was traded in cut to size and packed sheets. The cost differential between copier paper sold in cut and sized packs and paper imported in rolls was very small, making any cutting and packing operation commercially unviable. Thus, specifically excluded from the scope of the product under consideration are uncoated paper of a kind used for writing, printing, photocopying/copying, other graphic purposes etc. in rolls, reels and large sized sheet (i.e., other than sizes specified above) forms. d) Product under consideration is classified under customs heading 4802. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope."

5. The present investigation being a Sunset Review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

C. Like article

6. The Applicant has submitted that there is no known difference in the subject goods produced by the applicant and those exported from the subject countries. Both products are comparable in terms of technical characteristics, end uses, technical and commercial substitutability and tariff classification. The Authority in the previous investigation held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported from the subject countries. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration is the same, it is *prima facie* considered that the subject good produced by the Domestic Industry are "like article" to the subject good imported from the subject countries.

D. Domestic Industry

7. The application has been filed by M/s JK Paper Limited. The applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the Product under Consideration in India. The application has been supported by M/s West Coast Paper Mills Ltd. and M/s Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd., who have filed information in the prescribed format. Considering the information on record, the production of the applicant accounts for "a major proportion" in the Indian production of the like article and constitutes domestic industry within the meaning of Rules.

E. Likelihood of Continuation or recurrence of Dumping

i. Normal Value for Indonesia and Thailand

8. The Applicant has claimed that there is no publicly available information showing the selling price of the product concerned in the domestic market of Indonesia and Thailand. The applicant has relied on selling price of the product at retail level and has constructed ex-factory export price after adjusting the same for taxes, freight and discounts. The claim is found appropriate for the purpose of initiation.

9. The applicant has alleged existence of particular market situation in Indonesia and has submitted that the costs are required to be adjusted for international price of major input. The applicant has submitted that Government of Indonesia, vide various policies and actions, has influenced and artificially lowered the prices of input materials (wood pulp). The claim of the applicant will be examined during the course of the investigation.

ii. Normal Value for Singapore

10. The Authority had noted in the original investigation that there is no producer of product under consideration in Singapore. The product under consideration manufactured in Indonesia is exported to India from Singapore. The Authority had not determined separate dumping margin for the exporters from Singapore. The Authority

for the purpose of this investigation has considered normal value for Singapore at the same level as for Indonesia.

iii. Export Price

11. The Authority has computed the export price from the subject countries as per customs data made available by the DGCI&S. Adjustments have been made for inland freight, port expenses, commission, and bank charges to arrive at ex-factory export price.

12. Applicant has alleged that export price as reported by DGCI&S is unreliable, as the prices are almost close to the benchmark duty imposed, and is much higher than the prices reported in Indonesian customs data. The claim will be examined further during the course of the investigation.

iv. Dumping Margin

13. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined. It is noted that dumping margin in respect of exports from Indonesia and Singapore is above de-minimis and significant. The product under consideration from these two countries continues to be exported at a price below normal value. The dumping margin in respect of exports from Thailand however is below de-minimis level.

F. Likelihood of continuation or recurrence of Injury

14. The Applicant has claimed that while the domestic industry has not suffered continued injury, it is likely to suffer injury in the event of cessation of antidumping duty. The Applicant has submitted that the factors such as decline in imports post imposition of duty, likely dumping margins should duties cease, declining demand of the product in Indonesia, significant production capacities in Indonesia, declining global demand of the subject goods, duties imposed by Australia (on Thailand and Indonesia), facts found by the Australian authorities with regard to the Indonesian Market, cost advantage with exporters in Indonesia, dumping margins in respect of third country exports suggest the possibility of continuation of dumping and recurrence of injury. There is prima facie evidence regarding likelihood of dumping from Indonesia and Singapore and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty.

G. Subject Countries

15. The subject countries in this investigation are Indonesia and Singapore.

H. Initiation of Sunset Review Investigation

16. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied. on the basis of the prima facie evidence submitted by the applicant substantiating likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with section 9A (5) of the Act, read with Rule 23(lB) of the Rules, the Authority hereby initiates sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the Domestic Industry.

I. Period of Investigation

17. The Authority proposes the period of investigation (POI) for the present investigation as January 2020 – December 2020 (12 Months). The injury investigation period will cover preceding three years April, 2017 – March, 2018, April, 2018 – March, 2019, April, 2019 – March, 2020 and the POI.

J. Procedure

18. The review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/32/2017-DGAD, dated 30.10.2018, recommending imposition of Anti-dumping duty on imports of 'Uncoated Copier Paper' from Indonesia, Thailand and Singapore.

19. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

K. Submission of information

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

21. The known exporters, Government through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 19 above.

23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

L. Time-Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the email adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd14-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

M. Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. I.-or information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed' The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

N. Sharing of responses/ submissions amongst interested parties.

34. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not accessible physically due to ongoing global pandemic.

O. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.19 18:56:39 +05'30'